न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर
पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर. ए. एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 22/16 दिनांकः— 03.10.2019

1. नब्बू खां पुत्र नत्थू खां उम्र 70 वर्ष जाति कायमखानी निवासी ग्राम गोड़िया छोटा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. युनुस अली
2. सलीम खां
3. आरीफ खां पुत्रगण मोहीदीन खां
4. महरबानो पत्नि मोहीदीन खां समस्त जाति कायमखानी निवासी ग्राम गोडिया छोटा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति अधिवक्ताः— श्री मुकेश भातरा (प्रार्थी की ओर से)
श्री भीमसिंह (अप्रार्थीगण की ओर से)

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हेतमसर की तन में प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा नम्बर पुराना 132/1 नया खसरा नम्बर 181 रकबा 2.250 हैक्टेयर अवस्थित है उक्त भूमि के सीव जोड खसरा नम्बर 180 अवस्थित है।

ग्राम गोडिया छोटा की आबादी में से एक रास्ता खसरा नम्बर 180 की दक्षिणी सीमा से होकर गांव साझांसर की ओर आवागमन के लिये जाता है। प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में उक्त रास्ते को पीले रंग से दर्शित किया गया है।

प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 181 के पश्चिमी तरफ सटते हुए भूमि खसरा नम्बर 180 अवस्थित है, जिसके खातेदार अप्रार्थीगण है। संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शित रास्ते से खसरा नम्बर 180 में से होता हुआ संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित रास्ता प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 181 में आता है, जो रास्ता कदीम से आवागमन हेतु मौके पर चालू है तथा जिसका उपयोग प्रार्थी व उसके परिजन अपनी उक्त आराजी में आवागमन हेतु करता आ रहा है। उक्त रास्ता प्रार्थी के हिस्से की भूमि में आवागमन का एक प्रचलित रास्ता है, जो सुविधाजनक व सुगम है। इस प्रचलित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु मौजूद नहीं है। उक्त प्रचलित रास्ते को संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शित किया जाकर रास्ते की स्थिति का चित्रण व अंकन किया गया है।

उक्त लाल रंग से दर्शित रास्ता सैंकड़ों वर्षो से आवागमन हेतु प्रयुक्त होता आ रहा है और इसी रास्ते से प्रार्थी अपने मवेशी गाड़ी इत्यादि आसानी से लाता ले जाता है। अप्रार्थीगण उक्त लाल रंग से दर्शित तथा बअंक ए,बी,सी,डी से चिन्हित 12 फुट चौड़े व 350 फुट लम्बे प्रचलित रास्ते को आवागमन के लिए अवरूद्ध करने का सचेष्ट है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त रास्ता प्रार्थी की भूमि में आवागमन का एकमात्र रास्ता है, जो बन्द अथवा अवरूद्ध होने से प्रार्थी व उसके परिजन अपनी भूमि में आवागमन नहीं कर सकेगा और आवागमन के अभाव में प्रार्थी भूमि व फसल की सार संभाल नहीं कर सकेगा, जिससे प्रार्थी की फसल नष्ट व बरबाद हो जायेगी, इससे प्रार्थी को गंभीर आर्थिक क्षति कारित होगी। इस कारण उक्त प्रचलित लाल रंग से दर्शित रास्ते को राजस्व ट्रेस मानचित्र में अंकित करवाया जाकर पृथक से बट्टा नंबर अंकित करवाया जाना एवं अप्रार्थीगण को उक्त रास्तें में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के सलंग्न नक्शे लाल रंग से दर्शित तथा अक्षर ए,बी,सी,डी से चिन्हित 12 फुट चौड़ा व 350 फुट लम्बे प्रचलित रास्ते को राजस्व ट्रेस मानचित्र में उक्तानुसार अंकित किया जाकर बट्टा नम्बर अंकित करवाया जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि उक्त प्रचलित रास्ते में आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करे, न ही इससे किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न करे, न ही आवागमन के लिए बन्द करें। प्रार्थी नियमानुसार राशि अदा करने को तत्पर है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 180 की दक्षिणी सीमा में से होकर पीले रंग से दर्शित अथवा कोई भी रास्ता ग्राम सांझासर की ओर अथवा कहीं भी नहीं जाता है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 180 के दक्षिण में आबादी है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 180 में से होकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 181 में लाल रंग से दर्शित अथवा कोई भी रास्ता कभी भी मौके पर नहीं रहा है । अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 180 में से होकर कभी भी प्रार्थी उसके परिवारजन नहीं आये गये है। अप्रार्थीगण ने खेत खसरा नम्बर 180 के चारों तरफ मेड़बन्दी, तारबन्दी, डोल व बाड़ कर रखी है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 181 जिसका पूर्व में खसरा नम्बर 132 था के आवागमन का हमेश से रास्ता खसरा नम्बर 132 के पूर्वी सीमा से सटते हुये सार्वजनिक जोहड़ में से होकर ग्राम फतेहपुर से हेतमसर आने वाले आम रास्ते से होकर आते जाते रहे है और अब भी आते जाते हैं जो रास्ता मौके पर पूर्ववत मौजूद है। प्रार्थी ने सस्वीकृत रूप से खसरा नम्बर 181 सन् 2011 में उपहार में प्राप्त किया हैं खसरा नम्बर 181 का पूर्व में खसरा नम्बर 132 था और खसरा नम्बर 132 के लिए पहले से ही उसके पूर्वी और से सार्वजनिक जोहड़े से होकर कटानी रास्ता मौजूद रहता रहा है और अब भी मौजूद है तो खसरा नम्बर 132 वर्तमान नम्बर 181 के लिए कोई प्रचलित रास्ता अप्रार्थीगण के खेमे में से होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यदि खसरा नम्बर 132 वर्तमान खसरा नम्बर 181 व 182 के लिये अप्रार्थीगण के खेत में से प्रचलित रास्ता होता है तो खसरा नम्बर 182 का खातेदार भी यह आवेदन पेश करता। जबकि खसरा नम्बर 182 के खतेदार ने यह आवेदन पेश नहीं किया है। इसका अर्थ यही है कि खसरा नम्बर 132 जिसका वर्तमान नम्बर 181 व 182 है में आवागमन का पूर्ववत रास्ता पूर्वी और कटानी रास्त से होकर है।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार को मौके रिपोर्ट की तहरीर जारी की गई।तहसीलदार रामगढ़ की रिपोर्ट दिनांकित 21.12.2016 को फाईल पर दिनांक 29.12.2016 को शामिल किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.01.2017 को तहसीलदार रिपोर्ट दिनांकित 21.12.2016 पर आपत्ति पेश की गई है तथा प्रार्थना पत्र में संशोधन कर रास्ते की चौडाई कम कर 12 फीट करने का निवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.09.2017 को संशोधित किया गया व प्रार्थना पत्र पर आपत्ति को दिनांक 10.10.2017 को खारिज किया गया है। दिनांक 16.01.2018 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय की प्रति पेश की गई जिसमें तहसीलदार को पक्षकारान की उपस्थिति में रिपोर्ट करवाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए। तद्नुसार तहसीलदार को पुनः तहरीर जारी की गई। तहसीलदार रिपोर्ट 27.03.2018 को पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थी द्वारा 24.04.2018 को तहसीलदार रिपोर्ट दिनांकित 27.03.2018 मौका निरीक्षण बाबत विधिवत सूचना न मिलने पर आपत्ति पेश की गई है। दिनांक 11.06.2018 को कैम्प कोर्ट देवास में प्रार्थी द्वारा एक नया प्रस्तावित रास्ता पेश किया जिस पर तहसीलदार को रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हुई। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांकित 20.08.2019 को शामिल पत्रावली की गई जिसमें प्रतिवादी द्वारा बहस के समय सहमति/असहमति की स्पष्ट स्थिति हेतु आपत्ति

Scanned by CamScanner

ी गई व तहसीलदार को पुनः तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की गई जो रिपोर्ट को शामिल पत्रवली की गई।

प्रार्थी ने बहस में मूल प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित रास्ते को अंकित करने का निवेदन किया। खसरा नम्बर 181 तक के वर्तमान आने जाने वाले ऊँचे मिटटी के टिले की वजह से असुविधा होने का वर्णन किया , पूर्व की रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा स्पष्ट स्थिति नही दर्शायी गई है।

अप्रार्थी ने कथन किया कि मौके पर ख. नं.182 में से रास्ता मौजूद है जो कि प्रार्थी की पारिवारिक भूमि है। नवीन प्रस्तावित रास्ता अप्रार्थी के खेत ख. नं. 180 में से होकर आवागमन के लिए नहीं रहा तथा अप्रार्थी खेत में से ताकत के बल पर नया रास्ता प्राप्त करने के लिए गलत आवेदन पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली में तीन बार तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिनसे ये ज्ञात होता है कि खसरा नंबर 182 प्रार्थी की पारिवारिक सम्पति है, जो बटवारा के बाद अलग हुई है। प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 180 में से रास्ते के लिए आवेदन किया गया है। वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत देवास में कैंप कोर्ट के समय प्रार्थी द्वारा संशोधित रास्ते के लिए तहसीलदार रिपोर्ट का निवेदन किया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर खसरा नंबर 180 की पश्चिम सीमा पर चारागाह भूमि है, दक्षिण सीमा पर बंजड़ जोहड़ की भूमि है, तथा 180 की पूर्वी दक्षिणी सीमा के किनारे लगते हुए खेत से चिपटा हुआ रास्ते का निवेदन किया गया। आम रास्ते से इस नवीन रास्ते की भी प्रार्थी के खेत से 120 मीटर दूरी है। बहस के समय प्रार्थी ने मूल प्रार्थना पत्र के अनुसार ही रास्ते का निवेदन किया। चूंकि खसरा नंबर 180 के खातेदार उक्त भूमि में से रास्ता देने के लिए असहमत है, व इस रास्ते के अतिरिक्त भी प्रार्थी के पास अन्य ग्रामीण वासी की तरह खेत पर जाने का रास्ता है। इसलिए इस रास्ते की मांग परम आवश्यकता के अनुरूप नहीं प्रतीत होती है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में टीले की वजह से प्रस्तावित रास्ते का निवेदन किया गया है, परन्तु टीले के अलावा भी प्रार्थी के पास खसरा नंबर 182 पारिवारिक सम्पति में जाने के लिए कटान रास्ता मौके पर है । पारिवारिक संपत्ति के मीट्स एंड बाउंड बंटवारे के दौरान प्रार्थी पक्ष को इस तथ्य का ध्यान रखना था कि उसकी आराजी तक पहुंच के लिए वह अपने परिवारजनों के सदस्यों से रास्ते का अधिकार भी सुरक्षित रखा जाना था। प्रार्थी द्वारा पारिवारिक संपत्ति में बंटवारे के दौरान हुई चूक के आधार पर अप्रार्थी गण की आराजी में से प्रार्थना पत्र के आधार पर वह रास्ते का अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है जबकि वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की खातेदारी की आराजी तक जाने के लिए उपलब्ध हो। प्रार्थी के पास अपनी पारिवारिक सम्पति में से रास्ते की मांग का भी विकल्प है। अतः प्रार्थना पत्र परम आवश्यकता के अभाव न्यायहित में खारिज किये जाने हेतु उचित प्रतीत होता है।

—:आदेशः—

आदेश है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर

Scanned by CamScanner